न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

(84)

दिनांक 27-1-14 को श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत
27-1-14

राजस्व प्रकरण कमांक R-337-II/14

1. श्रीमती आशा सिंह पत्नीं स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह
2. जीतेन्द्र बहादुर सिंह तनय स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह
3. श्रीमती उर्मिला सिंह पुत्री स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्रीमती सिया सिंह पुत्री स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह
5. कुमारी सावित्री सिंह पुत्री स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह.
6. लाल बहादुर सिंह तनय स्व0 इन्द्राज सिंह
7. जय बहादुर सिंह तनय स्व0 इन्द्राज सिंह
8. राजरमण सिंह तनय स्व0 उदयराज सिंह

सभी निवासी ग्राम नौगवा धीर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी म0प्र0 ....आवेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 27-1-14

बनाम

1. शंकर तनय सुखई कोल
2. समयलाल तनय अगनुआ कोल
3. बुद्धिशेन तनय मेघई तेली
4. लाला तनय रामफल चमार
5. दशरथ तनय सुखई कोरी
6. म0प्र0 शासन

निवासी कमांक 1 ता 5 ग्राम नौगवा धीर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र0 ....अनावेदकगण

द्वितीय पुनरीक्षण विरूद्ध **आदेश** न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक **146** / निग0 / 2011 – 2012 में **पारित आदेश** दिनांक

(2)

-2-

30.11.2013 के द्वारा निहायत अवैधानिक ढ़ंग से निगरानीं के साथ प्रस्तुत धारा–5 अवधि अधिनियम का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये सम्पूर्ण्झ निगरानीं को समय सीमा से वाह्य प्रस्तुत होना मानकर निरस्त किया गया है।
निगरानीं अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य–

अ. इस प्रकार है कि ग्राम नौंगवां धीर सिंह में अधिकार अभिलेख वर्ष 1974–75 के दौरान पुराना खसरा कमांक 597 रकवा 1.78 एकड़ के स्थान पर आराजी खसरा क्रमांक 544 रकवा 1.78 एकड़ का निर्माण किया जाकर म0प्र0 शासन के स्वामित्व में अभिलिखित की गई किन्तु उक्त भूमि आवेदकगण के स्वत्व एवं कब्जे दखल के बांध के अन्दर स्थित है। जिसके चारों ओर आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की अन्य भूमियां स्थित हैं। जिससे आवेदित भूमि एक मात्र आवेदकगण के पिता, चाचा, देवराज सिंह के कब्जे दखल में थी जिससे आवेदकगण के पूर्वजों का नाम ग्राम के राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया जाता रहा है।

ब. यह कि आवेदकगण के पूर्वजों द्वारा ग्राम में प्राथमिक पाठशाला के निर्माण होनें से उक्त आवेदित भूमि का 1.30 एकड़ रकवा शिक्षा विभाग सीधी को दे दिया था तब से निरन्तर आवेदित भूमि पर प्राथमिक पाठशाला भवन नौंगवां धीर सिंह एवं खेल का मैंदान पंचायत भवन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं सड़क निर्मित है। वर्तमान् समय में प्राथमिक पाठशाला का उन्नयन संभावित है जिससे ग्राम के बच्चे विद्याध्ययन करते चले आ रहे हैं ।

स. यह कि वर्ष 1990–91 के दर्मयान रामानन्द पटवारी, हल्का पटवारी नौंगवां धीर सिंह में पदस्थ हुये जिनके द्वारा अनावेदकगणसे नाजायज ... आवेदित भूमि का खसरे में कटकरण करते हये अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक—निगरानी—337—दो / 2014 जिला—सीधी

श्रीमती आशा सिंह आदि विरूद्ध शंकर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 5 की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 146 / निग. / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 30—11—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03—05—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6·3·2019	